जय शंकर

बनाम

राजस्थान राज्य

16 सितंबर, 1965

[मुख्य न्यायमूर्ति पी. बी. गजेन्द्रगडकर, न्यायमूर्तिगण के. एन. वांचू, एम. हिदायतुल्लाह, जे. सी. शाह और एस. एम. सिकरी]

भारत का संविधान, अनुच्छेद 311–जोधपुर सेवा विनियम, विनियमन 13–एक महीने से अधिक समय तक अवकाश का अत्यवस्थान करने पर सेवा की स्वचालित समाप्ति का प्रावधान –ऐसी समाप्ति यदि वह उक्त अनुच्छेद को आकर्षित करती है अथवा नहीं।

अपीलार्थी राजस्थान में हेड वार्डर थे और स्थायी रूप से राज्य की सेवा में थे । 14 अप्रैल, 1950 को वे दो माह के लिए अवकाश पर चले गये। इसके उपरांत उन्होंने अवकाश को चिकित्सीय आधार पर बढ़ाने के लिए और आवेदन किए। उन्हें 13 अगस्त, 1950 को कार्यभार ग्रहण करना था; जिसके आगे की तिथि के लिये अवकाश के लिए उनके द्वारा किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने और अवकाश प्रार्थना पत्र दिये, जिनमे से अंतिम प्रार्थना पत्र चिकित्सीय प्रमाण पत्र से समर्थित था। इस अंतिम आवेदन तथा पहले के आवेदनों का उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, किन्तु 8 नवंबर, 1950 को उन्हे उप महानिरीक्षक (कारागार) से एक संचार प्राप्त हुआ जिसके अनुसार उन्हें 13 अगस्त, 1950 से सेवामुक्त कर दिया गया था । विभागीय उपचार विफल होने पर उन्होंने सेवा से हटाए जाने को चुनौती देते हुए एक वाद दायर किया। निचली न्यायालय ने उनके विरुद्ध तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय सुनाया।हालांकि उच्च न्यायालय ने निचली न्यायालय के आदेश को बहाल कर दिया जिसके बाद अपीलार्थी विशेष अनुमति से इस न्यायालय में आया।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था उनकी सेवाओं को समाप्त करने से पूर्व राज्य सरकार कि ओर से उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था जो संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन हैं । उत्तरदाता की ओर से जवाब में जोधपुर सेवा के विनियमन 13 पर बल दिया गया है, जो यह निर्धारित करता हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनुमति के बिना एक माह के लिए स्वयं अनुपस्थित था या उसका अवकाश समाप्त होने के लंबे समय बाद तक अनुपस्थित था तो ऐसी दशा में ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी नियुक्ति का त्याग किया है और वह केवल सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ बहाल किया जा सकता है। इस विनियम के आधार पे यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति स्वचालित रूप से समाप्त हो गयी है और अनुच्छेद 311 के प्रावधानों को आकर्षित करते हुए सेवा से उनके हटाए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

निर्णीत। : सरकारी कर्मचारियों को अनुच्छेद 311 के अंतर्गत दिया गया संवैधानिक संरक्षण इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से दूर नहीं किया जा सकता है। नियम 13 निस्संदेह बहाली की बात करता है लेकिन वास्तव में यह बात आती है कि यदि किसी व्यक्ति को सेवा से छुट्टी देने या हटाने का आदेश दिया जाता है तो उसे बहाल नहीं किया जाएगा। बहाली के सवाल पर तभी विचार किया जा सकता है जब पहले इस बात पर विचार किया जाए कि व्यक्ति को सेवा से हटा दिया जाना चाहिए या छुट्टी दे दी जानी चाहिए। इस मामले को कोई भी जिस भी तरह से देखे, सरकार के आदेश में सेवा की समाप्ति शामिल है जबकी पदधारी सेवा करने के लिए तैयार है।

विनियमन में किसी के द्वारा अवकाश की अवधि से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के लिए सजा प्रावधानित है और कारण बताकर पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने का भार पदधारी पर डाला गया है। उसे बहाल करने की मांग के रूप में वर्णित करना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह इसे बचाने के समान नहीं है क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है की क्यूँकि व्यक्ति को केवल एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा बहाल किया जाएगा उसका निष्कासन स्वचालित है और अनुच्छेद 311 के संरक्षण से बाहर है। एक निष्कासन निष्कासन है और यदि यह किसी के अवकाश की अवधि से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के लिए सजा है तो वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश प्रस्तावित किया गया है, को एक अवसर दिया जाना चाहिए, चाहे विनियमन इसका वर्णन किसी भी प्रकार से करे। अवसर न देना अनुच्छेद 311 के विरुद्ध जाना है।

अपीलार्थी इस घोषणा का अधिकारी है कि उसे सेवा से हटाना अवैध है।

<u>सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 576/1964</u>

राजस्थान उच्च न्यायालय में एस. बी. सिविल विनियम द्वितीय अपील सं. 37 /1961 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 11 दिसंबर, 1962 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थी के लिए यू. एम. त्रिवेदी, चंद्र डलर इस्सर और गणपत राय।

प्रतिवादी के लिए जी. सी. कासलीवाल, महाधिवक्ता, राजस्थान, एम. एम. तिवारी, के. के. जैन और आर. एन. सचथे।

न्यायालय का निर्णय हिदायतुल्ला, जे. के द्वारा दिया गया था।

अपीलार्थी जय शंकर, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 11 दिसंबर, 1962 के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील करते हैं, वर्ष 1950 में केंद्रीय कारागार, जोधपुर में हेड वार्डर थे। उन्होंने अप्रैल 1940 में वार्डर के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी, 1944 में उन्हें हेड वार्डर के रूप में पदोन्नत किया गया था और वे राज्य के स्थायी सेवक थे। 14 अप्रैल, 1950 को वे 13 जून, 1950 को समाप्त होने वाले दो माह के अवकाश पर चले गए। उन्होंने चिकित्सीय आधार पर 20 दिनों के लिए अवकाश बढ़ाने के लिए आवेदन किया, क्योंकि वे बीमार हो गए थे, और फिर पुनः 10 दिनों के लिए अवकाश बढ़ाने के लिए आवेदन किया। बाद में उन्होंने एक महीने के लिए अवकाश बढ़ाने की मांग की। उन्हें 13 अगस्त, 1950 को पुनः कार्यभार ग्रहण करना था। 14 अगस्त, 1950 को उन्हें सूचित किया गया कि उनके अवकाश की अवधि और अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी और हैदराबाद में बीमार होने के दौरान जयपुर में उनका किया गया स्थानांतरण रद्द नहीं किया जाएगा।

जय शंकर सितंबर 1,1950 को हैदराबाद से जोधपुर लौटे और आगे के अवकाश के लिए आवेदन किया। उन्होंने कई बार आवेदन पत्र दिये। उनका अंतिम आवेदन 3 नवंबर, 1950 को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था, जो एक चिकित्सा प्रमाण पत्र से समर्थित किया गया था, जिसमें 11 नवंबर, 1950 तक अवकाश मांगा गया था। अपने अंतिम एवं उसके पूर्व के कुछ आवेदनों का उन्हें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और 8 नवंबर, 1950 को उन्हें उप महानिरीक्षक (कारागार), जोधपुर के अधीक्षक, केंद्रीय कारागार से अनुमोदन के तहत एक संचार दिनांकित 2/4-11-50 प्राप्त हुआ कि उन्हें 13 अगस्त, 1950 से सेवा से निकाल दिया गया है। उन्होंने उस आदेश के खिलाफ महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान के समक्ष अपील की जिसे 24 सितंबर, 1951 को खारिज कर दिया गया। जय शंकर ने राजस्थान सरकार के गृह सचिव को एक अपील प्रस्तुत की। उन्हें गृह सचिव से 17 दिसंबर, 1953 को एक पत्र द्वारा सूचित किया गया की प्रपत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु महानिरीक्षक, कारागार को भेजे गए थे। जय शंकर द्वारा ये आक्षेप लगाया गया है कि उन्हें महानिरीक्षक के निजी सहायक द्वारा बुलाया गया था और उन्हें इस शर्त पे बहाल करने की पेशकश की गई की वे पुराने वेतन पर कोई दावा नहीं करने का वादा करे, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत एक नोटिस देने के बाद, जय शंकर ने मुकदमा दायर किया जिससे यह अपील की जाती है। उन्होंने यह घोषणा याचित की कि उनकी सेवा की समाप्ति अवैध थी क्योंकि वह एक नोटिस के अधिकारी थे जिससे उन्हें अपनी सेवा की समाप्ति के विरुद्ध कारण दिखाने में अवसर मिलता जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा निर्धारित है । उन्होंने यह भी मांग की कि उनका पिछला वेतन 2369 था उन्हें दिया जाए।

अधीनस्थ न्यायाधीश, जोधपुर ने निर्णय किया कि जय शंकर का उनकी बीमारी के विषय में अभिकथन सही थे लेकिन उन्होंने इस तर्क को खारिज कर दिया कि उनका सेवा से निष्कासन अवैध था। परिणामस्वरूप पिछले वेतन के लिए दावे की अनुमति नहीं दी गई और मुकदमे को खारिज करने का आदेश पारित किया गया। जिला न्यायालय में अपील पर जय शंकर निचली न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को उलटने में सफल रहे। जिला न्यायाधीश, जोधपुर ने अभिनिर्धारित किया कि जय शंकर इस घोषणा के अधिकारी थे कि उन्हें सेवा से हटाना अवैध था और वह सेवा में बने रहे और नियमों के तहत उनके लिए स्वीकार्य वेतन के सभी बकाया के भी अधिकारी थे। राज्य सरकार ने जिला न्यायाधीश के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील की और अपील में पारित आदेश द्वारा जिला न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री को निरस्त कर दिया गया और अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा डिक्री

को पुनर्स्थापित कर दिया गया। जय शंकर को उच्च न्यायालय व दोनो निचले न्यायालय में खर्च अदा करने हेतु आदेशित किया गया ।

इस अपील में संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या जय शंकर थे अनुच्छेद 311 के खंड (2) के अनुसार प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध कारण दिखाने का अवसर पाने के अधिकारी थे। यह स्वीकार्य तथ्य है कि उनके विरुद्ध कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था। न ही उन्हें कारण दर्शित करने का कोई अवसर दिया गया था। राज्य सरकार का ये कथन है की सरकार ने जय शंकर की सेवा समाप्त नहीं की, बल्कि जय शंकर ने स्वयं अनुपस्थित रहकर नौकरी छोड़ दी थी । ऐसा मामला अनुच्छेद 311 के दायरे में नहीं आता है। इस अभिकथन के समर्थन में जोधपुर सेवा विनियमों के कुछ विनियम पर बल दिया गया है और जिनका उल्लेख किया जा रहा है। विनियम 7 में कहा गया है कि छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और सरकार किसी भी प्रकार के अवकाश के आवेदन को निरस्त कर सकती है। विनियम 11 में यह कहा गया है की जिस व्यक्ति को चिकित्सीय आधार पर एक माह या उससे अधिक अवधि के लिए अवकाश दिया गया है वह बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए सेवा पर नहीं लौट सकता हैं। इस तरह का प्रमाण पत्र देने के लिए एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है । विनियम 12 यह को निर्धारित करता है की यदि एक व्यक्ति जो बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है या अपने अवकाश के अंत में अनुपस्थित रहता है तो वह अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई वेतन का अधिकारी नहीं होगा नहीं है ऐसी अनुपस्थिति की अवधि को उसके अवकाश के खाते में से विकलन किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य नियम के तहत अवकाश स्वीकृत या बढ़ाया न जाए। विनियमन 13 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस तर्क का आधार है कि अनुच्छेद 311 इस मामले में लागू नहीं होता है। उस विनियमन को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

" 13. एक व्यक्ति जो बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है या जो बिना अनुमति के उसका अवकाश समाप्त होने के एक माह या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो यह माना जाता है कि उन्होंने अपनी नियुक्ति का त्याग किया है और ऐसा व्यक्ति केवल सक्षम प्राधिकरी की मंजूरी के साथ बहाल हो सकता है।

नोटः – पहले से स्वीकृत अवकाश के विस्तार के लिए आवेदन जमा करना किसी व्यक्ति को बिना अनुमति के स्वयं को अनुपस्थित रखने का अधिकारी नहीं बनाता है । "

यह तर्क दिया गया है कि यह विनियमन स्वचालित रूप से संचालित होता है और सेवा से निष्कासित करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्यूँकि ऐसा माना जाना चाहिए कि जय शंकर ने अपनी नियुक्ति का त्याग कर दिया था। विनियमन के तहत उन्हें केवल सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ बहाल किया जा सकता था। इसलिए हमें यह निर्धारित करना है कि क्या यह विनियमन सरकार को किसी व्यक्ति को उस सजा के विरुद्ध कारण दिखाने के लिए, यदि कोई हो, अवसर दिए बिना सेवा से निष्कासित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है।

यह राज्य सरकार की ओर से स्वीकार किया गया है कि दण्ड के रूप में किसी पदाधिकारी का सेवा से निर्वहन उसका सेवा से निष्कासन माना जाएगा। हालाँकि, यह तर्क भी दिया गया है कि विनियमन के अंतर्गत सरकार मात्र ये करती है की उस व्यक्ति को बहाल किए जाने की अनुमति नहीं देती है। सरकार उन्हें हटाने का आदेश नहीं देती है क्योंकि पदाधिकारी स्वयं नौकरी छोड़ देता है। हम नहीं सोचते कि संवैधानिक संरक्षण को इस तरह से एकतरफ़ा तरीक़े से छीन लिया जा सकता है। जबकि एक तरफ सरकार के ऊपर ऐसे किसी व्यक्ति को सेवा में बनाए रखने के लिए कोई मजबूरी नहीं है जो अयोग्य है और बर्खास्तगी या हटाने के योग्य है, दूसरी ओर, एक व्यक्ति यदि वह चाहता है तो कानून के अनुसार उसकी सेवा समाप्त होने तक सेवा में बने रहने का हकदार है। हटाने योग्य एक परिस्थिति यह है कि अवकाश समाप्त होने के बाद अनुपस्थित रहना। यह एक ऐसी गलती है जो एक उपयुक्त मामले में सरकार को किसी व्यक्ति के सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य मानने का अधिकारी बनती है। लेकिन भले ही एक विनियमन बनाया गया है, यह आवश्यक है कि सरकार उस व्यक्ति को एक अवसर दे की वह कारण दिखा सके कि उसे सेवा से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई के दौरान हमने महाधिवक्ता से सवाल किया कि क्या होगा यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपने धोखे से परे कारणों के कारण या जिसके लिए वह किसी भी तरह से जिम्मेदार या दोषी नहीं था, एक महीने से अधिक समय तक ड्यूटी पर लौटने में असमर्थ था, और यदि बाद में वह उक्त कारणों के गायब होने के तुरंत बाद कार्यभार ग्रहण करना चाहता था,

तो ऐसे मामले में क्या होगा? क्या ऐसे मामले में सरकार विनियमन पर भरोसा करते हुए उसे बिना किसी सुनवाई के हटा देगी? विद्वान महाधिवक्ता ने कहा कि प्रश्न हटाने का नहीं होगा, बल्कि बहाली का होगा और सरकार द्वारा उन्हें बहाल किया जा सकता है। हम इसे पर्याप्त उत्तर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विनियमन बहाली की बात करता है, लेकिन वास्तव में यह बात आती है कि यदि किसी व्यक्ति को सेवा से निष्कासित कर देने या हटाने का आदेश दिया जाता है तो उसे बहाल नहीं किया जाएगा। बहाली के सवाल पर तभी विचार किया जा सकता है जब पहले इस पर विचार किया जाए की क्या व्यक्ति को सेवा से हटाया जाना चाहिए या निष्कासित कर देना चाहिए। इस मामले को कोई भी जिस भी तरह से देखे, सरकार के आदेश में सेवा की समाप्ति शामिल है जब पदाधिकारी सेवा करने के लिए तैयार होता है। विनियमन में किसी के द्वारा अवकाश की अवधि से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के लिए सजा प्रावधानित है और कारण बताकर पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने का भार पदाधिकारी पर डाला गया है। यह सच है कि सरकार ऐसे व्यक्ति जो अपने अवकाश की अवधि से अधिक समय तक अनुपस्थित रहा है की सेवा से छुट्टी या निष्कासन की सजा पर पुनर्विचार कर सकती है, लेकिन हमारा यह मत है कि सरकार किसी व्यक्ति को निष्कासित करने का आदेश उसे यह बताए बिना नहीं दे सकती है की उसे हटाने का प्रस्ताव रखा जा हैं और उसे कारण कि उसे क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए का अवसर दिया जाता हैं । यदि ऐसा किया जाता है तो पदाधिकारी ऐसी सजा के विरुद्ध करवायी करने के अधिकारी होंगे, अगर उसकी याचिका सफल होती है, तो यह नहीं माना जाएगा की उसे नहीं हटा दिया गया है और बहाली का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। उसे बहाल करने की मांग के रूप में वर्णित करना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह इसे बचाने के समान नहीं है क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है की क्यूँकि व्यक्ति को केवल एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा बहाल किया जाएगा उसका निष्कासन स्वचालित है और अनुच्छेद 311 के संरक्षण से बाहर है। एक निष्कासन निष्कासन है और यदि यह किसी के अवकाश की अवधि से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के लिए सजा है तो वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश प्रस्तावित किया गया है, को एक अवसर दिया जाना चाहिए, चाहे विनियमन इसका वर्णन किसी भी प्रकार से करे। अवसर न देना अनुच्छेद 311 के विरुद्ध जाना है।

हमारे निर्णय में, जय शंकर को अपनी छुट्टी पर रोक लगाने पर प्रस्तावित सेवा से हटाने के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर मिला था और चूंकि उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए उन्हें सेवा से हटाना अवैध था। वह इस घोषणा के अधिकारी है। अतः उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया जाना चाहिए और जिला न्यायाधीश, जोधपुर के आदेश को संपुष्ट किया जाना चाहिए। जय शंकर का पिछला वेतन क्या है, यह प्रश्न अब विचारण न्यायाधीश द्वारा लागू नियमों के अनुसार तय किया जाना चाहिए, जिसके लिए इस मामले का प्रेषण दीवानी न्यायाधीश, जोधपुर को भेजा जाएगा।

इस न्यायालय, उच्च न्यायालय और नीचे के दो न्यायालयों में जय शंकर का अब तक के खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा । अपीलार्थी को अकिंचनता की मद से अपील करने की अनुमति दी गई है। राज्य ज्ञापन पर देय न्यायालय शुल्क का भुगतान करेगा। अपीलार्थी का अधिवक्ता अपनी लागत की वसूली करने का अधिकारी होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

Vetted by Sameena Jameel, Judicial Magistrate, Etawah.